न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–सिंगरौली

III/किरानी/सिंगरौली/भू.रा/2017/4265

1– मुदस्सिर हुसैन पुत्र श्री गुलाम अहमद
2– मुजब्बिर हुसैन पुत्र श्री गुलाम अहमद
3– मुजक्किर हुसैन पुत्र श्री गुलाम अहमद
4– सोनू मोहम्मद पुत्र श्री गुलाम अहमद
5– मुजस्सिम हुसैन पुत्र श्री गुलाम अहमद
6– मोहम्मद हुसैन पुत्र श्री गुलाम अहमद
निवासीगण– लदवई तहसील सरई जिला – सिंगरौली (म.प्र.)

––आवेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 3.11.17 को प्रस्तुत

राजस्व मण्डल ग्वालियर

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला सिंगरौली (म.प्र.)

–– अनावेदक

पेशी दि. 17.11.17

न्यायालय तहसीलदार तहसील सरई द्वारा प्रकरण क्रमांक 7/अ6अ/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 26.10.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

03/11/17

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, ग्राम लदवई में स्थित आराजी खसरा क्रमांक पुराना 2 मिन रकवा 5.504 है0, 3 मिन रकवा 2.023 है0, 4 मिन रकवा 0.850 है0, 6 मिन रकवा 2.023 है0 कुल किता 4 कुल रकवा 10.400 है0 का मूलतः पट्टा आवेदकगण के माता जैबुन्निशा पुत्री कासिम खॉ के नाम वर्ष 1958–59 के वार्षिक खतौनी एवं खसरा वर्ष 1956–57 से लगातार 1960–61 से लगायत 1974–75 तक के पुराने अभिलेखो में दर्ज भूमि स्वामी अभिलेख था। जो सहवन गत् वर्ष 1975 में म.प्र. शासन अंकित किया गया था जिसका खसरा सुधार हेतु माता जैबुन्निशा पुत्री कासिम खॉ के द्वारा तहसीलदार सिंगरौली प्रभारी माडा में आवेदन पत्र पेश किया गया जो प्रकरण क्रमांक 15/अ6अ/1974–75 पर पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 06.07.1976 से स्वीकार किया गया। जिसके

64

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर</u>

<u>अनुवृत्ति आंदेश प्रष्ठ</u>

प्रकरण क्रमांक अ/निग/सिंग/ग्रा/17/4265 गुलाबसिंह / शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
09/01/19	आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार - सरई के प्रकरण क्रमांक 7/अ-6-अ/16-17 में पारित आदेश दिनांक 26-10-17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला - सिंगरौली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22/4/19 को कलेक्टर जिला सिंगरौली के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य	